श्री बलवान सिंह

बनाम

श्री लक्ष्मी नारायण और अन्य

(बी. पी. सिन्हा, सी. जे., जाफर आई. एम. ए. एम., ए. के. सरकार,के. एन. वांचू और जे. सी. शाह, जे. जे.)।

चुनाव याचिका-भ्रष्ट व्यवहार-मतदाताओं के प्रभाव के लिए वाहन किराए पर लेना-याचिकाएं-यदि आवश्यक हो तो किराये के अनुबंध के विवरण-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), धारा 83 (1) (ख), 90 (3) और 123 (5).

पहले प्रतिवादी ने आदेश के लिए चुनाव याचिका दायर की अपीलकर्ता का चुनाव इस आधार पर शून्य घोषित किया जाएअपीलकर्ता ने इसके तहत भ्रष्ट आचरण किया हैएस। उसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(5).उन्होंने महिला मतदाताओं को लाने के लिए एक ट्रैक्टर किराए पर लिया था

घरों से मतदान स्थल तक और वापसी तक। एक संशोधन आवेदन द्वारा

प्रथम प्रतिवादी ने संप्रेषण के बारे में विवरण दियामतदाताओं, लेकिन उन्होंने अनुबंध के संबंध में कोई विवरण नहीं दियानियुक्ति के संबंध में न

ही अपीलकर्ता ने ऐसा विवरण मांगा। पर परीक्षण में पहले प्रतिवादी ने अनुबंध के संबंध में साक्ष्य का नेतृत्व किया

नियुक्ति की और अपीलकर्ता ने प्रासंगिकता पर कोई आपत्ति नहीं जताई उस सबूत का. चुनाव न्यायाधिकरण ने याचिका खारिज कर दी

लेकिन अपील पर उच्च न्यायालय ने आरोप सिद्ध माना और अपीलार्थी का निर्वाचन शून्य घोषित किया। अपीलार्थी ने प्रतिवाद किया कि चुनाव याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए थी क्योंकि नियुक्ति के अनुबंध का विवरण जो एक आवश्यक था भ्रष्ट आचरण का घटक नहीं दिया गया था।

आयोजित, (सिन्हा सी. जे., जाफर इमाम, के. एन. वांचू और जे. सी. शाह, जे. जे.) ने कहा कि धारा 123 (5) के अन्तर्गत भ्रष्टप्रथा मतदाताओं को मतदान केंद्र से आने-जाने के लिए प्रेरित करना था न कि किराये का अनुबंध। यदि चुनाव याचिका में मतदाताओं को मतदान केंद्र से लाने-ले जाने के लिए वाहन के उपयोग के बारे में विवरण दिया गया है, तो किराये के तथ्य से अलग किरायेदारी के अनुबंध का विवरण नहीं देना, याचिका को दोषपूर्ण नहीं बनाती है। चुनाव याचिका मात्र इसलिए खारिज होने योग्य नहीं रह जाती क्योंकि एक कथित भ्रष्ट प्रथा का पूरा विवरण निर्धारित नहीं किया गया था। यदि कोई आपत्ति की जाती और

न्यायाधिकरण यह मानता कि पूरा विवरण निर्धारित नहीं किया गया था, तो याचिकाकर्ता को विवरणों के संशोधन या विस्तार करने का अवसर दिया जाना था। विवरणों की आपूर्ति करने के आदेश का पालन न करने की स्थिति में ही अस्पष्ट रहे आरोप को निरस्त किया जा सकता था। इसके अलावा, इस मामले मेंकिराये के अनुबंध के विवरणों के अभाव के कारण अपीलार्थी को कोई महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह नहीं हुआ था।

सरकार जे.-अंडर धारा 123 (5) के अन्तर्गत निर्वाचकों को लाने ले जाने के लिए वाहन किराए पर लेना भ्रष्ट प्रथा का एक आवश्यक तत्व था और किराये के अनुबंध का विवरण देना आवश्यक था। लेकिन विवरण नहीं देना याचिका को खारिज योग्य नहीं बनाता। अधिनियम की धारा 83 विवरण उपलब्ध नहीं करने पर याचिका के खारिज होने का प्रावधान नहीं रखती न ही धारा 90 (3) न्यायाधिकरण को धारा 83 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए याचिका को खारिज करने का अधिकार देता है। अपीलार्थी को विवरणों के लिए आवेदन करने का अधिकार था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया; ऐसे में वह बाद में विवरणों के अभाव के बारे में आपत्ति नहीं कर सकता।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील का सं. 411/1959

इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1958 की पहली अपील संख्या 448/ए में पारित विशेष अनुमति द्वारा अपील निर्णय से दिनांक 9 जनवरी 1959 के आदेश से।

एल. के. झा, पी. रामा रेड्डी, आर. के. गर्ग और आर. पट नाइक। अपीलार्थी की ओर से जी. एस. पाठक, जी. एन. दीक्षित, उदय प्रताप सिंह जे. पी. गोवल, एम. एस. गुप्ता और पी. सी. अग्रवाल, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से 23. फरवरी, 1960. सिन्हा का निर्णय, सी. जे. इमाम, वांचू और शाह, जे. जे. शाह ने दिया। जे. सरकार, जे. ने एक अलग निर्णय दिया।

शाह, जे.- 1957 में हुए पिछले आम चुनावों में तीन उम्मीदवार, बलवान सिंह, (जिसे यहाँ अपीलार्थी के रूप में संदर्भित किया जा रहा है), राम दुलारी और गया प्रसाद ने निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 अकबरपुर ग्रामीण विधानसभा से उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव लड़ा। 28 फरवरी, 1957 को मतदान हुआ और चुनाव का परिणाम 2 मार्च 1957 को घोषित किया गया। अपीलार्थी ने सबसे अधिक संख्या में मत प्राप्त कि और विधिवत निर्वाचित घोषित हुआ। लक्ष्मी नारायण नामक एक मतदाता जिसे बाद में प्रथम उत्तरदाता के रूप में संदर्भित किया जाएगा- ने भारत के चुनाव आयोग को आवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी बलवान सिंह के चुनाव की घोषणा अन्य तथ्यों के साथ-साथ इस आधार पर शून्य है कि अपीलार्थी

और/या उसके चुनाव एजेंट और/या अन्य व्यक्तियों ने उसकी सहमति से भ्रष्ट आचरण किया था और चुनाव का परिणाम अपने हित में की गई ऐसी भ्रष्ट प्रथाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित था। याचिका के पैरा 9 के खण्ड (च) में दी गई सामग्री इस अपील के लिए महत्वपूर्ण है, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा यह प्रतिवाद किया गया था कि अनुलग्नक डी में उल्लिखित गाँवों में, अपीलार्थी, उसके एजेन्ट, कार्यकर्ताओं ने उसकी सहमति पर महिला मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने ले-जाने के लिए बैलगाड़ी और ट्रैक्टर खरीदे और किराए पर लिए। अनुलग्नक डी में 30 गाँवों की एक सूची तैयार की गई थी। इस चुनाव याचिका को विचारण के लिए जिला जज कानपुर को भेजा गया था। जिन्हें याचिका पर सुनवाई के लिए चुनाव अधिकरण के रूप में गठन किया गया था। अपीलार्थी ने अपने लिखित बयान में तर्क दिया कि पैरा 9 के खण्ड(च) में किये गये कथन असत्य थे क्योंकि अनुलग्नक डी में दिये गये गांव व अन्य गांव की महिलाओ को मतदान केन्द्र लाने ले जाने हेतु ना तो उन्होंने ना ही उनके एजेन्टों ने या श्रमिकों ने कभी बैलगाड़ी या ट्रक खरीदे या भाडे पर लिये। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि पहले प्रतिवादी ने मतदाताओं के नामों का खुलासा नहीं किया और न ही परिवहन का विवरण दिया और अब उनके दोषपूर्ण अभिवचन को देखते हुए उस आरोप पर अपीलार्थी के चुनाव को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।15 जुलाई, 1957 को पहले प्रतिवादी ने

पैरा 9 के विभिन्न खंडों व खण्ड (च) में दिये गये विवरण सहित निर्धारित विवरणों को बढ़ाने के लिए अनुमति के लिए आवेदन किया और उन खण्डों में विवरणों को बढ़ाने के लिए अनुलग्नक डी-1 को जोडने की अनुमति के लिए निवेदन किया। अनुलग्नक डी-1 में प्रथम प्रतिवादी ने उपयोग में लिए गए वाहनों की प्रकृति, उन वाहनों के मालिकों के नाम, उन गाँवों के नाम जहाँ से महिला मतदाताओं को अपीलार्थी के खर्च पर मतदान केंद्र और वहां से वापस भेजा गया था, भुगतान किया गया किराया और जिन महिला मतदाता को जहां पहुंचाया गया उन परिवारों का विवरण को निर्धारित किया। अपीलार्थी ने प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया कि अपने आवेदन के माध्यम से, पहले प्रतिवादी ने अपने द्वारा दिए गए विवरणों को बढ़ाने की नहीं, बल्कि नई भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में आरोप लगाने की मांग की है और प्रार्थना की कि पैरा 9 के खंड (च) सहित खण्डों को हटा दिया जाए। 29 जुलाई, 1957 को चुनाव न्यायाधिकरण ने प्रथम प्रत्यर्थी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने देखा किः

> "केवल यह कहना कि जिन गाँवों की सूची अनुलग्नक डी में दी गई थी, उनमें भ्रष्ट प्रथा का अनुसरण किया था। उन विवरणों को देने के बराबर नहीं है जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व की उपरोक्त धारा 83 (1) (बी) के अनुसार प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता थी"

और निर्देश दिया कि पैरा 9 खण्ड सहित कुछ पैराग्राफ और अनुलग्नक डी को रद्द कर दिया जाए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 9 सितंबर, 1957 मुबारक माज डोर बनाम. के. के. बेनर्जी अन्य पर विश्वास करते हुए, एक चुनाव याचिका जिसमें अस्पष्टता के आधार पर की गई भ्रष्ट प्रथाओं को उस आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन किए गए पहले जवाब में स्पष्ट किया गया था। चुनाव न्यायाधिकरण ने 13 सितंबर, 1957 के अपने आदेश द्वारा आदेश की समीक्षा के लिए पहले प्रतिवादी की याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि29 जुलाई, 1957 के आदेश को रद्द कर दिया जाए।

अपीलार्थी ने चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 29 जुलाई, 1957 आदेश की समीक्षा करने के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उसकी शुद्धता और औचित्य को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आवेदन किया। 6 मार्च, 1958 के अपने आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की मूलतः पुष्टि की ।उच्च न्यायालय ने पाया कि न्यायाधिकरण के पास अपने पूर्व के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र था और मामले की परिस्थितियों में यह निर्णय करना आवश्यक नहीं है कि आदेश दिनांक 13 सितम्बर 1957 को ठीक से पारित किया गया था। क्योंकि आदेश दिनांक 29 जुलाई 1957 अन्यायपूर्ण व

अनुचित था। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत मामला प्रस्तुत किया गया है, जिसकी कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व के आदेश को अपास्त करके त्रुटि को ठीक कर सकता था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, पैरा 9 के खण्ड (च) में किए गए कथनों को पुनर्स्थापित किया गया और अनुलग्नक डी-1 को याचिका में शामिल किया गया था। 16 अगस्त, 1958 के अपने आदेश द्वारा न्यायाधिकरण ने याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि प्रथम प्रतिवादी उन भ्रष्ट प्रथाओर को स्थापित करने में विफल रहा जिन पर याचिका आधारित थी । पैरा9 के खण्ड(च) में निर्धारित भ्रष्ट प्रथा से निपटते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि धारा 123 (5) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, में वर्णित भ्रष्ट प्रथा उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता द्वारा वाहनों को किराए पर लेने या खरीदने के कार्य में निहित है और केवल मतदाताओर को लाने ले जाने के कारण भ्रष्ट प्रथा नहीं की गई है। क्योंकि वाहनों को किराए पर लेने और खरीदने के लिए याचिका में कोई विवरण नहीं दिया गया था, और पहले प्रतिवादी द्वारा वाहनों को किराए पर लेने या खरीदने के अपने मामले का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत किये गये साक्ष्य असंतोषजनक थे। प्रथम प्रतिवादी का अपीलार्थी द्वारा किया गया दावा निराधार था।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 116ए के तहत चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश

अपास्त किया और अपीलार्थी के चुनाव को शून्य घोषित किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका दोषपूर्ण थी क्योंकि इसमें ट्रेक्टर जिसे मतदाताओर को मतदान केन्द्र में लाने ले जाने के लिए उपयोग किया गया था उसे भाडे पर लेने की तारीख व स्थान का विवरण नहीं दिया गया था। परन्तु उक्त चूक के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को कोईपूर्वाग्रह नहीं हुआ। उच्च न्यायालय के मत में ए. पी. मलिक, नाहोली मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी की गवाही की पूष्टि प्रदर्श 22, याचिका जिसे मतदान कि दिनांक को रघुराज सिंह, राम दुलारी के प्रतिनिधि चुनाव प्रत्याशी ने प्रस्तुत किया था और जिसे आगे गवाह कालिका प्रसाद की साक्ष्य से समर्थन मिला और अन्य गवाह रघुराज सिंह ने स्थापित किया कि मतदाताओर को नाहोली मतदान केंद्र में अपीलार्थी के आग्रह पर एक ट्रैक्टर से जुड़े ट्रेलर में पहुँचाया गया और हनुमान सिंह की साक्ष्य से मतदाताओर के परिवहन में उपयोग में लिये गये ट्रैक्टर को किराए पर लेने का अनुबंध स्थापित हुआ। उच्च न्यायालय ने तदनुसार अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुँचाने के लिए वाहन को भाडे पर लिया जाना भ्रष्ट प्रथा की है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलार्थी के चुनाव को शून्य घोषित किये जाने पर विशेष अनुमति के द्वारा यह अपील पेश की।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 (1) (बी) जैसा कि संशोधित किया गया है, यह प्रावधान करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोपित किसी भी भ्रष्ट प्रथा का पूरा विवरण देगा। जिसमें यथासंभव वह पूरा बयान भी शामिल है, जिनमें संबंधित पक्षों के संभावित नाम जिनके द्वारा इस तरह की भ्रष्ट प्रथा कारित की और उक्त प्रथा को किये जाने की तारीख और स्थान। धारा 123 यह निर्धारित करता है कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किन प्रथाओर को भ्रष्ट माना जायेगा और खण्ड (5) उसके जैसा महत्वपूर्ण तिथि पर खड़ा था, जहाँ तक है वह प्रासंगिक था, प्रदान किया गयाः

> "धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान को या से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) किसी निर्वाचक के [मुक्त प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा]या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से]किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपास करना अथवा [ऐसे यान या जलयान का उपयोग करना]"

न तो मूल रूप से दायर याचिका में और न ही संशोधन में वह तारीख व समय जब वह वाहन जिसे कथित तौर पर मतदाता ओर को परिवहन करने के लिए जिसका उपयोग किया गया व उन व्यक्तियों के नाम जिनके बीच उक्त वाहन को भाडे पर लिये जाने का अनुबंध किया गया था, का विवरण नहीं दिया गया था। ऐसे में यह प्रश्न निर्धारित किया जाता हैः क्या चुनाव याचिका खारिज होने योग्य थी क्योंकि इसमें मतदाताओं को संप्रेषित करने में उपयोग वाहन को किराये पर लेने की तारीख व स्थान का विवरण नहीं दिया गया था? उच्च न्यायालय के मत में धारा 123 (5) में वर्णित भ्रष्ट प्रथा में मतदाताओर को मतदान केन्द्र के लिए लाने ले जाने के वाहन के किराये व खरीद की तारीख व स्थान के विवरण के अभाव में याचिका दोषपूर्ण थी। इस तरह की राय में, उच्च न्यायालय ने इसके पहले के एक फैसले मदन लाल बनाम सैयद जरघम हैदर व अन्य पर भरोसा किया। भार्गव, जे. ने उस मामले में, न्यायालय का निर्णय देते हुए पाया किः

> " ..... लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (5) के तहत, कुछ प्रकार के वाहनों को उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदाताओर को किसी मतदान केन्द्र के लिए व वहां से परिवहन के लिए वाहन किराए पर लेना या खरीदना एक भ्रष्ट प्रथा के कार्य में

शामिल है। मतदाताओर को परिवहन करना नहीं बल्कि परिवहन के लिए परिवहन के किराये व खरीदने का कार्य एक भ्रष्ट प्रथा है । धारा 83 (1) के खंड (ख) में के तहत एक चुनाव याचिकाकर्ता के लिए जरूरी है कि वह भ्रष्ट प्रथा का पूर्ण विवरण जिसमें यथासंभव पूर्ण कथन सहित कथित रूप से ऐसा करने वाले पक्षों के नाम भ्रष्ट प्रथा कारित करने की तारीख और स्थान का विवरण पेश करें। इस कानून के प्रावधान में उपयोग में की गईभाषा की आवश्यकता अनुसार - भ्रष्ट प्रथा का पूरा विवरण और विशेष रूप से कम से कम तीन विवरणों का उल्लेख करता है जो दिया जाना चाहिए। ये हैं पार्टियों के नाम जिन पर भ्रष्ट आचरण करने का आरोप है तारीख व स्थान जहां भ्रष्ट प्रथा की गई थी "।

किराये का अनुबंध नहीं बल्कि मतदाताओर को मतदान केन्द्र के लिए व मतदान केन्द्र से परिवहन के लिए किराये पर लेने का तथ्य धारा 123 (5) द्वारा घोषित एक भ्रष्ट प्रथा है। ऐसी याचिका जिसमें मतदाताओर को मतदान केन्द्र के लिए व मतदान केन्द्र से परिवहन हेतु उपयोग में लिये गये वाहन का विवरण उन सभी जानकारियों जिसमें उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किराये से या

खरीदा गया वाहन लेने की तारीख व स्थान के साथ प्रस्तुत करती है वह धारा 83 (1) (बी) की आवश्यकता का अनुपालन करती है। इस बात को मानते हुए कि क्या धारा 123 (5) में वर्णित भ्रष्ट प्रथा में मतदाताओर के परिवहन को वाहन किराए पर लेने से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि मतदाताओर के परिवहन के लिए वाहन किराए पर लेने या खरीदने की भष्ट प्रथा मौजूद है जिसका पूरा विवरण दिया जाता है, तो धारा 83 विधिवत अनुपालन किया जाता है, भले ही किराये का अनुबंध का विवरण किराये के तथ्य से अलग है, नहीं दिया गया हो। आम तौर पर, किसी वाहन को किराए पर लेने या खरीदने की व्यवस्था, उस समझौते के पक्षों की विशेष जानकारी के भीतर होती है और यह मान लेना मुश्किल है कि इसका आशय किसी चुनाव विवाद में याचिकाकर्ता से दूसरे पक्ष की विशेष जानकारी के भीतर तथ्यों का विवरण निर्धारित करना था, और यदि वे विवरण नहीं दिया जा सके, तो याचिका को खारिज करने के दंड के लिए अनावरत करना था। यदि उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किराए पर लिए गए या खरीदे गए वाहन का उपयोग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुँचाने के लिए किया जाने विवरण निर्धारित किए गए हैं, किराये या खरीद की व्यवस्था के अनुबंध के विवरण को निर्धारित करने में विफलता याचिका को दोषपूर्ण नहीं बनाएगी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा 1956 के अधिनियम 27 द्वारा संशोधित, किसी याचिका को खारिज करने या किसी भ्रष्ट प्रथा की याचिका को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस ओर से विवरण निर्धारित नहीं दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 90 , खण्ड (5) न्यायाधिकरण को याचिका में लगाये गये आरोप कोई भी भ्रष्ट आचरण का विवरण देने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। जिससे याचिका के न्यायपूर्ण और प्रभावी विचारण को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह से संशोधन या प्रवर्धित करना, जो उसकी राय में आवश्यक हो। अधिनियम की धारा 90 (1) के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन याचिका की सुनवाई यथासंभव सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दी गईवाद को सुनने की प्रक्रिया लागू होगी और उसके बाद विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए इस प्रकार का आदेश दिया जा रहा है लेकिन न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं दोषपूर्ण याचिका दायर करें। ऐसे मामलों में जहां एक चुनाव याचिका में एक भ्रष्ट प्रथा का अपर्याप्त विवरण दिया गया है। चुनाव याचिका खारिज होने योग्य नहीं है। केवल इसलिए सीमित करें क्योंकि एक भ्रष्ट व्यक्ति का पूरा विवरण याचिका में कथित प्रथाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। जहाँ प्रत्यर्थी द्वारा आपत्ति उठाई जाती है कि याचिका दोषपूर्ण है क्योंकि एक का पूरा विवरण कथित भ्रष्ट आचरण निर्धारित नहीं किए गए हैं, न्यायाधिकरण यह तय करने के

लिए बाध्य है कि क्या आपत्ति ठीक है, निर्धारित किया गया। यदि न्यायाधिकरण आपत्ति को बरकरार रखता है, तो यह याचिककर्ता को यह अवसर देता है कि वह कथित भ्रष्ट प्रथा के विवरणों में संशोधन व उनमें वृद्धि करें और पालना नहीं किये जाने की स्थिति में उस आदेश का अनुपालन करते हुए न्यायाधिकरण उन आरोपों को हटा सकेगा, जो अस्पष्ट हैं। भ्रष्ट प्रथाओर के विवरण पर जोर देते हुए यह निस्संदेह है कि इसका चुनाव याचिका के विचारण में सर्वोपरि महत्व है, लेकिन कथित भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण कमी होने के बावजूद पक्ष मुकदमे में जाते हैं, और याचिका पर चुनाव लड़ने वाले दलों के साक्ष्य का नेतृत्व किया जाता है। तो याचिका इसके बाद विवरणों के अभाव में खारिज नहीं की जा सकती। क्योंकि यह एक दोष प्रक्रिया है और विवरणों के अभाव में याचिका पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण की अधिकारिता का नहीं। अपीलीय न्यायालय उचित मानते हुए न्यायाधिकरण के फैसले को अपास्त कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट कि पूर्ण पक्षीय निर्णयों की अनुपस्थिति के कारण, महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, और यह मानते हुए कि महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह के कारण विवरणों के अभाव के बारे में आपत्ति उठाने में विफलता हुई है, पर जोर दिया जाना चाहिए।

यह मानते हुए कि इस मामले में, याचिका दोषपूर्ण थी क्योंकि व्यक्तियों के बारे में विवरण जिनके बीच नियुक्ति का अनुबंध किया गया था

और इसकी तारीख और स्थान निर्धारित नहीं किया गया है, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि इससे कोई महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ था। मूल रूप से दायर याचिका के लिखित बयान में, यह स्पष्ट रूप से तर्क नहीं दिया गया था कि उन व्यक्तियों के नामों के बारे में विवरण के अभाव के कारण जिनके बीचकिराये का अनुबंध हुआ था, और अनुबंध की तारीख और स्थान, अपीलार्थी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरा करने में असमर्थ था। याचिका में संशोधन के बाद भी, अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। न्यायाधिकरण के समक्ष, तर्क की सुनवाई में, एक याचिका कि नियुक्ति के अनुबंध में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नामों से संबंधित विवरणों की कमी के कारण याचिका दोषपूर्ण थी, और इसके समय और स्थान को स्पष्ट रूप से उठाया गया था। लेकिन किराये से संबंधित सभी सबूत और उसके समय और स्थान को अभिलेख में बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया गया था। यह भी सुझाव नहीं दिया जाता है कि विवरणों के अभाव के कारण, अपीलकर्ता अपना बचाव करने में शर्मिंदा था, या कि वह पहले प्रतिवादी द्वारा स्थापित भ्रष्ट व्यवहार की याचिका के लिए प्रासंगिक साक्ष्य का नेतृत्व नहीं कर सका। इसलिए हम यह मानने में असमर्थ हैं कि याचिका में विवरण के अभाव के कारण कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था।

आवेदन को खारिज करने वाला न्यायाधिकरण का आदेश में कथित भ्रष्ट प्रथा के पक्षकारों के विस्तार के लिए पहले प्रतिवादी का याचिका, पहले से ही निर्धारित कारणों से, गलत थी; और उस दृष्टिकोण से सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय अपील की सुनवाई के समय, रिट याचिका पर दिए गए अपने पहले के फैसले द्वारा खुद को बाध्य रखने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित करना, निर्धारित नहीं किया जाता है। अपीलार्थी के वकील ने आग्रह किया कि किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय विशुद्ध रूप से साक्ष्य की सराहना के प्रश्नों पर न्यायाधिकरण के सुविचारित निर्णय से असहमत होना उचित नहीं था। लेकिन यह अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दी गई विशेष अनुमति के साथ दायर की गई है। जिसके तहत अपील करने की अनुमति देना इस न्यायालय की स्थापित प्रथा है। अनुच्छेद 136 केवल तभी जब असाधारण और विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हों, या कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया हो और मामला पर्याप्त गंभीरता की विशेषताओं को प्रस्तुत करता हो फैसले की समीक्षा के खिलाफ अपील की गई। बस। क्योंकि अपील विशेष अनुमति द्वारा स्वीकार की गई है, पूरा मामला बड़े पैमाने पर नहीं है, और अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायाधिकरणों के तथ्य के निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। केवल उन बिंदुओं पर अंतिम सुनवाई में आग्रह किया जा सकता है जिन पर शुरू में विशेष अनुमति दी जा सकती है और आम तौर पर विशेष

अनुमति नहीं दी जाएगी। इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 (1) के तहत साक्ष्य के मूल्यांकन में नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा की गई त्रुटि की याचिका पर अनुदान दिया गया। यह अपीलार्थी के वकील द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करने से इनकार करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त होगा। हालाँकि, हम यह देख सकते हैं कि साक्ष्य की समीक्षा करने पर भी, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में सही था। न्यायाधिकरण के समक्ष श्री ए. पी. मलिक की साक्ष्य, नाहोली मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी, जिसने गवाही दी कि उसने मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 से 150 गज की दूरी पर एक ट्रैक्टर देखा था। गवाह ने कहा कि उसने उस पर कोई झंडा या पोस्टर देखा हो। हालाँकि, गवाह ने अपनी डायरी में रघुराज सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर एक नोट लिखा था। पी. डब्ल्यू. 30. उस आवेदन की एक प्रति प्रस्तुत की गई है, और उस आवेदन में यह अंकित है कि एक ट्रैक्टर मतदान केंद्र पर आया था और "मतदाताओं की कतार"के पास खड़ा किया गया था; कि कुछ व्यक्ति, जिनमें से अधिकांश महिलाएं उस पर बैठी थी। ट्रैक्टर पर एक लाल झंडा फहराया गया था और पोस्टर समाजवादी पार्टी को ट्रैक्टर पर चिपकाया गया था; और वह ट्रैक्टर मतदान केन्द्र पर आए कुछ पुरुष और महिलाएँ मतदाताओं की कतार में खडे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने चारपगाथा गाँव के चंद्र बहादुर पांडे से संबंधित मतदान केंद्र के पास ट्रैक्टर देखा था

जिसपर एक लाल झंडा बरगद के पेड़ के प्रतीक के साथ पोस्टर चिपका हुआ। जो अपीलार्थी के पक्ष का प्रतीक था। उन्होंने आगे कहा कि कहा कि एक कालिका प्रसाद और कुछ महिला उनके परिवार के लोग ट्रेलर और अपीलकर्ता का एजेन्ट राधेश्याम उन सभी मतदाताओर को लेकर आया था और उन्हें कागज की पर्चीयां दी गईथी। कलिका प्रसाद को भी परीक्षित किया गया। और उन्होंने कहा कि वह और उसकी पत्नी और कई अन्य ग्रामीण नाहोली मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग ट्रैक्टर से जुड़े ट्रेल र से आये थे जिस पर कि एक लाल झंडा फहराया गया था और ट्रेलर पर पोस्टर चिपकाए गए थे। और कि पोस्टरों पर वह किंवदंती थी जो वोट देती है अपीलार्थी के पक्ष में डाला जाए। यह निर्विवाद साक्ष्य से स्थापित होता है कि मतदान की तारीख को नाहोली मतदान केंद्र तक एक ट्रैक्टर लाया गया था। न्यायाधिकरण ने श्री मलिक के साक्ष्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ काल्पनिक सिद्धांतों पर अन्य गवाहों की गवाही को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि उस समय मतदान केंद्र के पास कोई ट्रैक्टर नहीं लाया गया था, और यदि एक लाया गया था, तो हो सकता है कि ट्रैक्टर के मालिक ने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक और वापस जाने के लिए मुफ्त लिफ्ट दी हो। न्यायाधिकरण ने यह भी सुझाव दिया कि हो सकता है कि ट्रैक्टर अपीलार्थी या उसके एजेंटों की सहमति के बिना लाया गया हो। लेकिन यह तथ्य कि मतदान केंद्र पर एक ट्रैक्टर

लाया गया था, श्री मलिक के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। यह कि ट्रैक्टर पर अपीलार्थी के पक्ष का लाल झंडा था, दो गवाहों, रघुराज सिंह, पी. डब्ल्यू. 30 और रघु राज सिंह पी. डब्ल्यू. 38 के साक्ष्य और कालिका प्रसाद के साक्ष्य से भी स्थापित होता है। यह साक्ष्य पर भी स्थापित किया जाता है कि ट्रैक्टर पर बरगद के पेड़ के प्रतीक वाले पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे, जो चुनाव में अपीलार्थी की पार्टी का चुनाव प्रतीक था । गवाह हनुमान सिंह पी. डब्ल्यू. 56 ने कथन किया कि वह मतदाताओं को पहुँचाने के लिए चंद्र बहादुर से संबंधित ट्रैक्टर किराए पर लेने के सौदे के समय मौजूद था । उच्च न्यायालय ने उस साक्ष्य को स्वीकार किया और हमें नहीं लगता कि अन्य साक्ष्यों के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने ऐसा करने में गलती की थी । अपील विफल हो जाती है और कोस्ट के खारिज कर दी जाती है सरकार जे. मैं सहमत हूँ कि यह अपील विफल हो जाती है। अपीलार्थी को चुनाव में निर्वाचित घोषित किया गया था। प्रथम प्रतिवादी ने अपीलार्थी के चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एक चुनाव याचिका दायर की।

अन्य बातों के अलावा यह कहा गया था कि अपीलार्थी ने

एक भ्रष्ट प्रथा को अंजाम दिया जिसका वर्णन याचिका में इन शब्दों में किया गया थाः अनुलग्नक डी में उल्लिखित गाँवों में अपीलार्थी ने महिला मतदाताओं को उनके घरों से मतदान स्थलों तक और वापस ले

जाने के लिए एक ट्रैक्टर किराए पर लिया। अपीलार्थी ने इस आरोप को लागू करने के लिए आवेदन किया क्योंकि इसमें कथित भ्रष्ट प्रथा का पर्याप्त विवरण नहीं था। प्रत्यर्थी ने अपनी ओर से मौजूदा अनुलग्नक डी के स्थान पर डी1 चिह्नित अपनी याचिका के लिए एक नए अनुलग्नक के प्रतिस्थापन द्वारा अपनी याचिका में संशोधन करके इस भ्रष्ट प्रथा का विवरण देने की अनुमति मांगी। न्यायाधिकरण ने पहले संशोधन को अस्वीकार करने और अपीलार्थी की इच्छा के अनुसार आरोप को खारिज करने का आदेश दिया। बाद में इसने अपने पहले के आदेश की समीक्षा करते हुए एक और आदेश दिया और इस तरह उस आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश द्वारा इसने खारिज किए गए आरोप की बहाली और अनुलग्नक डी के स्थान पर अनुलग्नक डी-1 के प्रतिस्थापन का निर्देश दिया।

अपीलार्थी ने अनुच्छेद 226 के तहत इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का रुख किया। संविधान की अनुच्छेद 227 न्यायाधिकरण के बाद के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण के पास उसके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है और संशोधन की अनुमति देते हुए समीक्षा पर दिया गया आदेश सही था। इसने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यदि न्यायाधिकरण के पास समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, तो उच्च न्यायालय स्वयं मामले के कब्जे में होने के कारण, माना जाएगा कि न्यायाधिकरण

के पहले आदेश को रद्द कर दिया है और इस संशोधन की अनुमति देते हुए एक आदेश दिया। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ अपील नहीं की। इसके बाद पक्षकार न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमे के लिए गए। याचिका के दोषपूर्ण होने के कारण अपीलार्थी ने बिना किसी आपत्ति के अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया। न्यायाधिकरण ने यह विचार व्यक्त किया कि कथित भ्रष्ट प्रथा साबित नहीं हुई थी और याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय में अपील पर अभिनिर्धारित किया कि भ्रष्ट प्रथा साबित हो गई थी और अपीलार्थी के चुनाव को अलग रखें। इसलिए यह अपील करें। यह कहा जाता है कि चुनाव याचिका होनी चाहिए खारिज कर दिया गया क्योंकि पर्याप्त विवरण में कथित भ्रष्ट प्रथा नहीं दी गई थी । कथित भ्रष्ट आचरण इस तरह का है धारा 123 (5) अधिनियम में उल्लिखित शब्द है

किराया या खरीद, चाहे भुगतान पर हो या अन्यथा, किसी उम्मीदवार द्वारा किसी वाहन या पोत का ..... किसी भी निर्वाचक के हस्तांतरण के लिए .....किसी भी मतदान केंद्र से या उससे।

यह तर्क दिया जाता है कि वाहन को किराए पर लेना इस खंड में उल्लिखित भ्रष्ट प्रथा का आवश्यक तत्व है इस विचार से बाहर जा रहा हूँ वाहन की खरीद क्योंकि यहां ऐसा नहीं है। यह कहा जाता है कि याचिका को, इसलिए, तिथि और स्थान का विवरण बताएँ किराये का अनुबंध और

उसके पक्षकार का संदर्भ धारा 83 अधिनियम है, जहां यह प्रावधान किया गया है कि,

> "एक चुनाव याचिका पूरी तरह से प्रस्तुत की जाएगी। याचिकाकर्ता द्वारा की जाने वाली किसी भी भ्रष्ट प्रथा का विवरण आरोप लगाते हैं, जिसमें जितना संभव हो उतना पूरा बयान शामिल है कथित रूप से ऐसा करने वाले पक्षों के नाम भ्रष्ट प्रथा और तिथि और स्थान इस तरह की प्रत्येक भ्रष्ट प्रथा का कमीशन "

इस प्रकार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किराये के अनुबंध के पक्षकार और वह तिथि व स्थान जहाँ इसे बनाया गया था, दिया गया है। प्रत्यर्थी इस बात से इनकार नहीं करता है कि किराये के अनुबंध का में उल्लेख नहीं किया गया था उनके अनुसार धारा 123 (5) में उल्लिखित भ्रष्ट आचरण किराये का अनुबंध से नहीं किया गया है बल्कि मतदाता द्वारा किराए के वाहन से परिवहन करने के कारण किया गया हैं। इसलिए वह कहता है कि उन विवरणों को उठाने का कोईप्रश्न नहीं है।

मेरे विचार में यह स्थापित किया गया कि अपीलार्थी का तर्क ठीक है। इस धारा के तहत मतदाताओं के परिवहन के लिए वाहन किराए पर लेना एक भ्रष्ट प्रथा है। यह इस भ्रष्ट प्रथा का सार है कि वाहन को किराए

पर लिया गया होगा, यानी, वाहन को किराए पर लेने के लिए एक अनुबंध होना चाहिए। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि अनुबंध के बिना वाहन कैसे किराए पर लिया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि उस अनुबंध का विवरण दिया जाना चाहिए। मैं उत्तरदाता की सराहना करने में भी असमर्थ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यह कहना कि किराए के वाहन में मतदाताओं को ले जाने से भ्रष्ट आचरण होता है, वही बात है जो मैं कहता हूँ कि मतदाताओर को एक वाहन द्वारा परिवहन किया गया था जिसे किराए पर लिया गया था, यानी एक वाहन जिसके संबंध में किराए पर लेने का अनुबंध किया गया था। वाहन में मतदाताओर की सरल अभिव्यक्ति पर्याप्त नहीं है। वाहन किराए पर लिया गया वाहन होना चाहिए। इसलिए कोई भ्रष्ट प्रथा नहीं है जब तक कि वाहन को किराए पर नहीं लिया जाता है, यानी इसके संबंध में किराए का अनुबंध स्थापित नहीं किया जाता है। क्या वाहन किराए पर लेने का एक साधारण अनुबंध है वास्तविक के बिना मतदाताओं के हस्तांतरण के लिए उनका हस्तांतरण एक भ्रष्ट के बराबर होगा अभ्यास करें या न करें, यह एक ऐसा सवाल है जो इस मामले में नहीं उठता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धारा 123 (5) में वर्णित भ्रष्ट प्रथा के अनुसार उस प्रश्न के बारे में जो भी दृष्टिकोण लिया जाए, वह किराये करने के अनुबंध को कम आवश्यक तत्व नहीं बनाएगा। इसलिए मेरे विचार में अपीलार्थी का अधिकार था - वह विवरण जिसकी वह अब शिकायत

करता है। फिर सवाल यह है कि इन विवरणों की आपूर्ति करने में विफलता का क्या प्रभाव है? मैं इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि याचिका खारिज होने योग्य थी। यह हमें नहीं दिखाया गया है कि अधिनियम इस तरह की बर्खास्तगी का प्रावधान करता है। धारा 83 में यह नहीं कहा गया है कि याचिका खारिज कर दी जाएगी। दूसरी ओर अधिनियम की धारा 90 (3) में प्रावधान है कि, "न्यायाधिकरण ऐसी चुनाव याचिका को खारिज करेंगा जो धारा 81, धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है। इस धारा में धारा 83 शामिल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अपीलार्थी विवरणों के अभाव में याचिका को खारिज करने का हकदार नहीं था। अपीलार्थी निश्चित रूप से आवेदन करने का हकदार था। विवरण के अभाव के बारे में शिकायत करें। यह विचार करना अनावश्यक है कि क्या होता यदि अपीलार्थी के आवेदन पर प्रतिवादी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था और ऐसा करने में विफल रहे थे, क्योंकि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। मेरे लिए केवल यह कहना बाकी है कि यह खुला नहीं है। अपीलार्थी के लिए अब यह तर्क देना कि न्यायाधिकरण अपने आदेश की समीक्षा करना गलत था। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 और 227 के तहत आवेदन पर दिए गए आदेश में उस तर्क को खारिज कर दिया। अधिक सुरक्षा के लिए इसने प्रतिवादी द्वारा मांगे गए संशोधन की अनुमति देने का आदेश भी दिया।

उच्च न्यायालय के फैसले पर अपीलकर्ता द्वारा अपील द्वारा सवाल नहीं उठाया गया है, जो उस पर बाध्यकारी है। इसलिए उन्हें इस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए कि याचिका का संशोधन उचित था। मैं यह भी कह सकता हूं कि यदि संशोधन की उचित अनुमति नहीं दी गई होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकमात्र परिणाम यह हुआ होगा कि कुछ और कथित भ्रष्ट प्रथा का विवरण याचिका में वांछित रहा होगा। पहले बताए गए कारणों से चुनाव को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था।

एकमात्र अन्य बिंदु जिस पर बार में बहस की गई थी तथ्य का सवाल था, अर्थात्, क्या कथित भ्रष्ट प्रथा साबित हुई थी। उस बिंदु पर मैं व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूं। मेरे विद्वान भाइयों द्वारा और जोड़ने के लिए कुछ नहीं है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक **अम्बिका, (न्यायिक अधिकारी)**द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः-यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।